



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/I/22/OTH/169/2024-ADMN

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश सं.: 05/2026

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं. 17/2025 दिनांक 24.07.2025 (प्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए, जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, जयपुर बेंच (GSTAT Jaipur Bench) के लिए गठित स्थानीय समिति में सदस्य के रूप में नामित सुश्री आर्निका यादव, संयुक्त आयुक्त के स्थान पर श्री उत्कर्ष बीर बहादुर सिंह, संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय, जयपुर को नामित किया जाता है।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री कुमार पाल गौतम, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान।
2. प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर।
3. श्री उत्कर्ष बीर बहादुर सिंह, संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर।
4. सुश्री आर्निका यादव, संयुक्त रजिस्ट्रार, जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, लखनऊ पीठ।
5. उप रजिस्ट्रार, जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, जयपुर पीठ।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर – 302005 (राजस्थान)

फोन: 0141-2385155; फैक्स: 0141-2385130, ईमेल: ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्विटर (X): @CGSTJAIPURZONE